

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) REGARDING
E-WASTE MANAGEMENT**

Question No. 1	:	ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयाँ कितने प्रकार की हो सकती है?																				
Answer	:	ई-वेस्ट(मैनेजमेन्ट)नियम,2016 के अनुसार ई-वेस्ट को प्रोसेस करने के प्रक्रमों के आधार पर इन इकाईयों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>प्रकार</th> <th>सामान्य विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>उत्पादक (Producers)</td> <td>जो कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयातक, निर्माता, Assembler अथवा Brand Owner है।</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>डिस्मैंटलर (Dismantler)</td> <td>ई-वेस्ट को प्रोसेस कर मैच्युली अलग करते हैं।</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>रि-साईक्लर (Recycler)</td> <td>ई-वेस्ट से मैटल/रिसाईक्लिंग पार्ट को अलग करते हैं।</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>रि-फर्बिश्नर Refurbisher</td> <td>अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक(Repair) करने के बाद उसको पुनः उपयोग करने की स्थिति में लाते हैं।</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>विनिर्माता (Manufacturer)</td> <td>इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ।</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	प्रकार	सामान्य विवरण	1.	उत्पादक (Producers)	जो कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयातक, निर्माता, Assembler अथवा Brand Owner है।	2.	डिस्मैंटलर (Dismantler)	ई-वेस्ट को प्रोसेस कर मैच्युली अलग करते हैं।	3.	रि-साईक्लर (Recycler)	ई-वेस्ट से मैटल/रिसाईक्लिंग पार्ट को अलग करते हैं।	4.	रि-फर्बिश्नर Refurbisher	अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक(Repair) करने के बाद उसको पुनः उपयोग करने की स्थिति में लाते हैं।	5.	विनिर्माता (Manufacturer)	इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ।		
क्र.सं.	प्रकार	सामान्य विवरण																				
1.	उत्पादक (Producers)	जो कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयातक, निर्माता, Assembler अथवा Brand Owner है।																				
2.	डिस्मैंटलर (Dismantler)	ई-वेस्ट को प्रोसेस कर मैच्युली अलग करते हैं।																				
3.	रि-साईक्लर (Recycler)	ई-वेस्ट से मैटल/रिसाईक्लिंग पार्ट को अलग करते हैं।																				
4.	रि-फर्बिश्नर Refurbisher	अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक(Repair) करने के बाद उसको पुनः उपयोग करने की स्थिति में लाते हैं।																				
5.	विनिर्माता (Manufacturer)	इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ।																				
Question No. 2	:	क्या प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से ई-वेस्ट इकाईयों को सम्मति (Consent) लेना आवश्यक है?																				
Answer	:	हाँ, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के वर्गीकरण में ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयाँ “Red Category” में वर्गीकृत है तथा इन इकाईयों(Dismantler, Recycler, Refurbisher & Manufacturer) को निम्न प्रकार से मण्डल से Consent व Authorization लेना आवश्यक है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>Consent/ Authorization</th> <th>कब apply करना चाहिये?</th> <th>कितने वर्ष तक वैध होता है?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Consent to Establish(CTE)</td> <td>इकाई की स्थापना से पूर्व</td> <td>5 वर्ष</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Consent to Operate (CTO)</td> <td>इकाई के प्रथम संचालन एवं नवीनीकरण से 4 माह पूर्व</td> <td>5 वर्ष</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Authorization ई- वेस्ट नियमों के तहत</td> <td>इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)</td> <td>Recycler – 5 वर्ष Dismantler – 5 वर्ष Refurbisher – One Time</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Authorization हर्जाड्स एवं अन्य वेस्ट नियम,2016 के तहत</td> <td>इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)</td> <td>5 वर्ष</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	Consent/ Authorization	कब apply करना चाहिये?	कितने वर्ष तक वैध होता है?	1.	Consent to Establish(CTE)	इकाई की स्थापना से पूर्व	5 वर्ष	2.	Consent to Operate (CTO)	इकाई के प्रथम संचालन एवं नवीनीकरण से 4 माह पूर्व	5 वर्ष	3.	Authorization ई- वेस्ट नियमों के तहत	इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)	Recycler – 5 वर्ष Dismantler – 5 वर्ष Refurbisher – One Time	4.	Authorization हर्जाड्स एवं अन्य वेस्ट नियम,2016 के तहत	इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)	5 वर्ष
क्र. सं.	Consent/ Authorization	कब apply करना चाहिये?	कितने वर्ष तक वैध होता है?																			
1.	Consent to Establish(CTE)	इकाई की स्थापना से पूर्व	5 वर्ष																			
2.	Consent to Operate (CTO)	इकाई के प्रथम संचालन एवं नवीनीकरण से 4 माह पूर्व	5 वर्ष																			
3.	Authorization ई- वेस्ट नियमों के तहत	इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)	Recycler – 5 वर्ष Dismantler – 5 वर्ष Refurbisher – One Time																			
4.	Authorization हर्जाड्स एवं अन्य वेस्ट नियम,2016 के तहत	इकाई के संचालन के समय (CTO के साथ)	5 वर्ष																			
Question No. 3	:	क्या ई-वेस्ट इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होना आवश्यक है या इसे किसी भी दुकान/व्यावसायिक भूमि पर स्थापित कर सकते हैं?																				
Answer	:	ई-वेस्ट इकाईयों हेतु भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ कन्वर्जन आवश्यक है। रीको द्वारा आवंटित भूमि पर भी “ई-वेस्ट इकाई” की स्थापना हेतु land use “ई-वेस्ट कार्य हेतु” अंकित होना अनिवार्य है।																				

Question No. 4	: ई-वेस्ट इकाईयों की Consent to Establish के हेतु क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज हैं?												
Answer	: ई-वेस्ट इकाईयों की Consent to Establish हेतु Land Ownership Document (औद्योगिक भूमि हेतु), प्रोजेक्ट रिपोर्ट(सी.ए./वित्तीय संस्थान द्वारा सत्यापित), शपथ पत्र, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, स्वच्छ जल की आपूर्ति का स्रोत व इसके सम्बन्ध में शपथ पत्र अथवा CGWA की अनापत्ति, उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी, डायरेक्टर/पार्टनर की सूची, ऑथोरिटी लेटर, वायु व जल प्रदूषण के स्रोत व उन पर स्थापित किये जाने वाले Pollution Control Measures की जानकारी, सम्मति शुल्क आदि के साथ मण्डल की वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर निर्धारित शुल्क व दस्तावेजों की चैकलिस्ट की सूची के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजों सहित Online आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।												
Question No. 5	: क्या ई-वेस्ट के सम्बन्ध में CPCB द्वारा कोई norms निर्धारित किये गये हैं?												
Answer	: जी हाँ, CPCB द्वारा ई-वेस्ट के सम्बन्ध में “ Guideline on Implementation of E-Waste(Management)Rules,2016 ” जारी की गयी है जो CPCB एवं राज्य मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है। RSPCB website's link:- https://environment.rajasthan.gov.in/content/environment/en/rajasthan-state-pollution-control-board/information/WasteManagement/E-Waste_Management.html# CPCB's website's link:- https://cpcb.nic.in/technical-guidelines-4/												
Question No. 6	: क्या ई-वेस्ट इकाईयों की स्थापना हेतु जगह की उपलब्धता (Space Requirement) व उत्पादन क्षमता(Production Capacity) के बीच कोई सम्बन्ध है?												
Answer	: जी हाँ, CPCB की Guideline के अनुसार हर प्रोसेस के लिये अलग-अलग space की requirement है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:- <table border="1" data-bbox="399 1120 1404 1332"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>प्रोसेस</th> <th>Minimum Space Requirement 1 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के लिये।</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dismantler</td> <td>300 sqm/1 TPD</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Recycler</td> <td>500 sqm/1 TPD</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Refurbisher</td> <td>150 sqm/1 TPD</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	प्रोसेस	Minimum Space Requirement 1 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के लिये।	1.	Dismantler	300 sqm/1 TPD	2.	Recycler	500 sqm/1 TPD	3.	Refurbisher	150 sqm/1 TPD
क्र. सं.	प्रोसेस	Minimum Space Requirement 1 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के लिये।											
1.	Dismantler	300 sqm/1 TPD											
2.	Recycler	500 sqm/1 TPD											
3.	Refurbisher	150 sqm/1 TPD											
Question No. 7	: क्या Dismantler को किसी अन्य facility से agreement/contract करने की आवश्यकता होती है?												
Answer	: जी हाँ, Dismantler को Guidelines के अनुसार Producer अथवा PRO अथवा ई-वेस्ट exchange अथवा Take Back System अथवा अधिकृत Recycler से agreement/contract करने की आवश्यकता होती है।												
Question No. 8	: Dismantler ई-वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद किसे दे सकता है?												
Answer	: Dismantler उपयोगी पार्ट्स को अधिकृत Refurbisher को तथा Steel, Metal व अन्य पार्ट्स को अधिकृत Recycler को दे सकता है। इस प्रक्रिया का रिकार्ड संधारण आवश्यक है।												
Question No. 9	: क्या Recycler को किसी अन्य Facility से जुड़ने की आवश्यकता है?												
Answer	: जी हाँ, Recycler, Producer को channelization system का एक हिस्सा होना चाहिये। उसे Producers/PRO/E-Waste Exchange/Dismantler/Consumers/ Bulk Consumers से ई-वेस्ट लेना चाहिये।												
Question No. 10	: Recycler ई-वेस्ट प्रोसेस करने के बाद किसे दे सकता है?												
Answer	: Recycler अपने product उपयोगकर्ता(Users) अथवा अन्य अधिकृत Recyclers को दे सकता है। प्रोसेस में जनित हजारों वेस्ट को common hazardous waste disposal												

		site(CTDF) पर निस्तारित किया जाना चाहिये।
Question No. 11	:	Refurbisher द्वारा जनित e-waste का निस्तारण किस प्रकार किया जाना चाहिये?
Answer	:	Refurbishing process से जनित ई-वेस्ट को पृथक कर collection centres/अधिकृत Recyclers को भेजा जाना चाहिये। यदि Refurbisher का स्वयं का collection centres नहीं है तो वेस्ट authorized Recycler को ही भेजा जावे।
Question No. 12	:	क्या Refurbisher को भी CPCB से EPR Authorization लेना आवश्यक है?
Answer	:	यदि Refurbisher द्वारा Refurbished Electrical & Electronic Equipments(EEE) market में Sell किये जाते हैं तो CPCB से EPR Authorization लिया जाना अनिवार्य है।
Question No. 13	:	क्या ई-वेस्ट नियमों में Authorization लेने हेतु कोई Form निर्धारित है?
Answer	:	<p>जी हाँ, Refurbisher एवं Manufacturer हेतु Form 1(a) व Dismantler व Recycler हेतु Form 4 में apply किया जाना चाहिये। Forms का प्रारूप मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ई-वेस्ट नियमों में Authorization हेतु मण्डल की वेबसाइट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb पर उपलब्ध दस्तावेजों की चैकलिस्ट की सूची के अनुरूप दस्तावेजों सहित Online आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। Authorization हेतु Online आवेदन प्रस्तुत करते समय upload किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में प्राधिकार पत्र (Authority letter). 2. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (Affidavit in prescribed Format). 3. जिला उद्योग केन्द्र अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था (जो कि इस सम्बन्ध में अधिकृत हो) द्वारा उत्पादन क्षमता हेतु जारी पंजीकरण अथवा प्रमाण पत्र (Registration Certificate of installed Capacity issued by District Industries Centre or any other Government Agencies authorized in this regard.) 4. पूर्व में ई-वेस्ट नियमों के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (Point wise compliance Report of last Authorization issued under E-Waste Rules). 5. जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी वैद्य संचालन सम्मति की प्रति (Copy of Valid Consent to Operate under Air/Water Act). 6. जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी संचालन सम्मति की शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट (Point wise Compliance Report of Consent to Operate). 7. डिस्मेन्टलर द्वारा प्रोड्यूसर्स अथवा पीआरओ अथवा ई-वेस्ट एक्सचेंज अथवा टेक बैक सिस्टम अथवा अधिकृत रिसाईक्लर से किये गये अनुबन्ध/प्रस्ताव की प्रति (Agreement/Proposal of connectivity to either Producers or PRO or e-waste exchange or take back system or authorized recycler.) (For Dismantler Only). 8. रिसाईक्लर की प्रोड्यूसर के साथ सम्बद्धता हेतु प्रमाण यथा : अनुबन्ध/एम.ओ.यू./प्रस्ताव की प्रति (Proposal/Agreement/MOU to prove as a part of producer channelization system. {For recycler}) 9. रिसाईक्लर के उत्पादों के उपयोग के सम्बन्ध में उपयोगकर्ताओं के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति (The user of the products obtained in the recycler facility should be identified and an agreement may be entered with them for selling of the products obtained in these recycling facilities. {For recycler}) 10. रिसाईक्लिंग व डिस्मेन्टलिंग प्रक्रिया का विवरण (Details of dismantling or

		Recycling Process.) 11. व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं से संबंधित दस्तावेज (Document regarding occupational safety and health aspects.) 12. प्रोड्यूसर्स के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति (Copy of agreement with Producer.)
Question No. 14	:	क्या E-Waste नियमों में Authorization की कोई फीस देनी होती है?
Answer	:	जी नहीं, E-Waste नियमों में Authorization हेतु कोई फीस नहीं देनी होती है।
Question No. 15	:	E-Waste के Collection Centre स्थापित करने के क्या norms हैं?
Answer	:	ई-वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के अन्तर्गत Collection Centres, Producers अथवा Dismantler अथवा Re-cycler अथवा Re-Furbisher हेतु ई-वेस्ट का Collection कर सकते हैं। केवल वे ही Collection Centres संचालन योग्य हैं जिनका उल्लेख Producer द्वारा EPR Authorization में किया गया है। Producer द्वारा अनुबन्धित PRO/Dismantler/ Re-cycler द्वारा भी Collection Centres का संचालन किया जा सकता है। Collection Centres को प्रोड्यूसर के ई-वेस्ट Channelization System का Part बनना आवश्यक है। Collection Centres में:- 1. ई-वेस्ट को तौलने की सुविधा होनी चाहिये। 2. ई-वेस्ट प्राप्त होते ही फार्म 2 के अनुसार प्रविष्टियाँ रिकार्ड में की जानी चाहिये। 3. Mercury containing waste को loading/unloading के दौरान टूटने से बचाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध होने चाहिये। 4. CPCB की गाईडलाइन्स के अनुसार ई-वेस्ट को उत्पाद की श्रेणी के अनुसार ही स्टोर किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में आवश्यक space प्रत्येक उत्पाद की श्रेणी के अनुसार निर्धारित है। 5. ई-वेस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड संधारित कर संबंधित प्रोड्यूसर को सूचित किया जाना चाहिये। 6. कवर्ड स्पेस में ही ई-वेस्ट का भण्डारण किया जाना चाहिये। 7. अग्निशमन की सुविधायें भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिये।
Question No. 16	:	क्या E-Waste Generate करने वाले व्यक्ति/संस्था को भी Authorization लेने की आवश्यकता है?
Answer	:	जी नहीं, E-Waste generate करने वाले व्यक्ति/संस्था अथवा Bulk Consumers को Authorization लेने की आवश्यकता नहीं होती। Bulk Consumers को ई-वेस्ट के generation की प्रविष्टियाँ Form-2 के अनुसार कर रिकॉर्ड का संधारण किया जाना चाहिये एवं प्रत्येक वर्ष (30 जून से पूर्व) Form-3 में वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
